



गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय)

इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ - 226021
फोन -2732193, फैक्स-2732185

पत्र संख्या : गौ०बु०प्रा०वि०/कुस०का०/2013/4261-65

दिनांक : 15-5-2013

सेवा में,

निदेशक,

चन्द्रमौली इंस्टी० आफ मैने० साइंस एण्ड टेक्नो०,
गोरखपुर।

विषय:- संस्था को शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु सम्बद्धता के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि शासन के पत्र संख्या 1346/सोलह-1-2012-13(03)/2013 दिनांक 14.05.2013 के क्रम में उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन एम०बी०ए० पाठ्यक्रम- 120 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु दिनांक 01.07.2013 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गयी।

1. संस्था प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगी तथा शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना समय से उपलब्ध करायेगी, अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
2. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं/विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
3. संस्था से एक माह के अन्दर संस्था में कार्यरत शिक्षकों की अनुमोदित सूची विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी ताकि इसे निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत किया जा सके।
4. संस्था द्वारा छात्रों से ली गयी फीस की सूचना एक पक्ष के अन्दर अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
5. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
6. संस्था में पायी गयी कमियों का पूर्ण रूपेण निराकरण हो जाने के पश्चात् ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से आगामी वर्ष अर्थात् 2014-15 की सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति की जा सकेगी और तभी संस्था को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा।
7. संस्था का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा और उक्त आकस्मिक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कोई कमियाँ नहीं हैं, संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।


8. जिन संस्थाओं की अभातशिप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जाँच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थाओं की सम्बद्धता तदकार्यवाही के अधीन होगी।
9. संस्था द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनु० जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 का अनुपालन किया जायेगा।
उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के आकस्मिक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियाँ पायी जाने की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,


(य० एस० तोमर)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. प्रमुख सचिव, महा० कुलाधिपति-/ श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।
 2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
 3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
 4. सम्बन्धित संस्था की पत्रावली।


(य० एस० तोमर)
कुलसचिव



गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय)

आई0ई0टी0 परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ, फोन 2732193, फैक्स 2732185

पत्रांक: गौ.बु.प्रा.वि./कुस.का./2013/10904-7

दिनांक: 26 जुलाई, 2013

सेवा में,

निदेशक,

चन्द्रमौलि इंस्टी0 आफ मैने0 साइंसेज एण्ड टेक्नोलाजी,

गोरखपुर ।

विषय- शैक्षिक सत्र 2013-14 में अतिरिक्त/नवीन पाठ्यक्रम की सम्बद्धता के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संस्था के पत्र दिनांक 18.4.2013 के संदर्भ में यह सूचित है कि प्रकरण में विश्वविद्यालय/ शासन की सम्बद्धता समिति के स्तर पर विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया है कि जिन संस्थाओं में विगत 03 वर्षों में छात्रों के स्पष्ट रूप से उत्तीर्ण होने के आधार पर प्रत्येक वर्ष के प्रथम वर्ष के परीक्षाफल 20% नहीं है उन संस्थाओं को अतिरिक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु वर्ष 2013-14 की सम्बद्धता अभ्यासिप द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता से आधी प्रवेश क्षमता के साथ अनुमति प्रदान की जा सकती है। आपके संस्थान में संचालित एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम का विगत तीन शैक्षिक सत्रों के अन्तर्गत प्रथम वर्ष के उत्तीर्ण छात्रों का परीक्षाफल निम्नवत रहा है:

वर्ष 2009-10	वर्ष 2010-11	वर्ष 2011-12
47.46 %	2.94 %	21.67 %

इस प्रकार स्पष्ट है कि आपकी संस्था का वर्ष 2010-11 का परीक्षाफल 20 प्रतिशत से कम है। अतः आपकी संस्था को शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु अतिरिक्त पाठ्यक्रम एम0बी0ए0 की सम्बद्धता अभ्यासिप द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता 60 सीट की आधी अर्थात् 30 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ कार्यवाही की जायेगी ।

भवदीय

(यू0एस0 तोमर)

कुलासचिव

पृष्ठांकन सं0 व दिनांक-उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम कुलाधिपति/श्री राज्यपाल महोदय, राजभवन, लखनऊ ।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली ।

(यू0एस0 तोमर)

कुलासचिव